डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अप्रैल 2002—चैत्र 16, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 13 सन् 2002)

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2002

अनुक्रमणिका

खण्ड :

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 13 सन् 2002)

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2002

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन), अधिनियम, 2002 है.

(2) यह अधिनियम ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करे.

धारा 3 का संशोधन. 2. (1) इन्दिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (1956 का क्रमांक XIX.) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहलायेगा) की धारा 3 में शब्द "कुलपति", "उपकुलपति" और "अध्याचार्य" के स्थान पर शब्द "कुलाधिपति", "कुलपति" और "कुलाधिसचिव" क्रमशः स्थापित किए जाए और शब्द "प्रतिकुलपति" तथा "कोषाध्यक्ष" क्रमशः लोप किए जाए.

धारा 3 (क) का अन्तः स्थापन. 3. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 3 (क) अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1) मूल अधिनियम में जहां-जहां शब्द "कुलपति", "उपकुलपति" और "अध्याचार्य" आया है उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "कुलाधिपति", "कुलपति" और "कुलाधिसचिव" स्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम में जहां-जहां शब्द "प्रतिकुलपति" तथा "कोषाध्यक्ष" आया है का लोप किया जाय.

धारा 11 का लोप. प्रतिकुलपति. 4. मूल अधिनियम की धारा 11 का लोप किया जाय.

धारा 16 का लोप. कोषाध्यक्ष. 5. मूल अधिनियम की धारा 16 का लोप किया जाये.

धारा 17 का लोप. कुलपति का हटाया जाना. 6. मूल अधिनियम की धारा 17 का लोप किया जाये.

धारा 17 (क) का अन्तः स्थापन. 7. मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित किया जाए; अर्थात् :—

कुलपति की पदावधि तथा रिक्ति. (1) यदि अभ्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाये, करने के पश्चात् किसी समय कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने—

(एक) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये किसी कर्त्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है; या

(दो) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या

(तीन) वह विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों का प्रवंध करने में असमर्थ है, तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का आसान नहीं हुआ है, एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, अपना पद त्याग दे.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जब तक पारित नहीं किया जायेगा यदि उन आधारों की विशिष्टियों, जिन पर कि ऐसी कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित है, कुलपति को संसूचित न कर दी गई हो तथा उसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(3) उपधारा (1) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से, यह समझा जायेगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जायेगा.

8. मूल अधिनियम की धारा 21 का लोप किया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय; अर्थात् :— धारा 21 का संशोधन.

विश्वविद्यालय सभा.

विश्वविद्यालय सभा का गठन परिनियम के अध्याधीन किये जावेंगे.

इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये विश्वविद्यालय सभा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगी; अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना;

(दो) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय की उन्नति तथा विकास के लिये उपाय सुझाना;

(तीन) वार्षिक प्रतिवेदनों, वार्षिक लेखाओं तथा तत्संबंधी संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना;

(चार) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का, उस दशा में के सिवाय जहां कि ऐसे प्राधिकारियों ने उन शक्तियों के अनुसार कार्य किया हो जो कि इस अधिनियम परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई हो, पुनर्विलोकन करना;

(पांच) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाय या उस पर अधिरोपित किए जाए;

9. (1) यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का उपाय किये बिना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें (अधिसूचना में) वर्णित किये जाने वाले कारणों से यह निर्देश दे सकेगी कि धारा 12, 12क, 17 क, 21, 22, 23, 24, 25 एवं 27 के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) राज्य सरकार द्वारा एतद् हेतु अधिसूचित आदेशों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे. धारा 54 का अन्तः स्थापन.

कतिपय परिस्थितियों में बेहतर प्रशासन के लिए अधिनियम को उपातंरित रूप में लागू करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति.

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है) नियत तारीख से, एक वर्ष की कालावधि तक के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि जैसी कि वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी जो कि जिससे अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाय.

(3) कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किये जाने के साथ-साथ राज्य शासन के परामर्श से कुलपति को उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति करेगा और उसी रीति से कुलपति को हटा सकेगा. इस प्रकार नियुक्त किया गया कुलपति अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पद पर रहेगा;

परन्तु कुलपति, अधिसूचना से प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किये रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(4) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा एतद् हेतु अधिसूचित आदेश के अध्यधीन रहते हुये प्रभावी होगा;

(दो) कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारण किये हुये हो, इस बात के होते हुये भी उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपने पद को रिक्त कर देगा;

(तीन) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति सभा, कार्यकारिणी समिति या शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में पद धारण किये हुये हो, उस पद पर नहीं रह जायेगा.

(चार) जब तक यथास्थिति सभा, कार्यकारिणी समिति या शिक्षा समिति का पुनर्गठन न हो जाये तब तक कुलपति, जो धारा 54 (3) के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारिणी समिति या शिक्षा समिति को इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किये गये हों.

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किये गये कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद ,एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे.

(5) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति, अधिनियम के यथानुपान्तरित उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय सभा कार्यकारिणी समिति या शिक्षा समिति का गठन करने के लिये कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारिणी समिति तथा शिक्षा समिति अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात्आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको यह संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाये, इन दोनों में से जो भी पश्चातवर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी;

परन्तु यदि सभा, कार्यकारिणी समिति तथा शिक्षा समिति अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाये तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये, उस समय तक करेगा जब तक कि यथास्थिति सभा, कार्यकारिणी समिति या शिक्षा समिति का इस प्रकार गठन न हो जाये.

10. धारा 54 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर, इस अधिनियम के उपबंध, जैसे कि वे अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय को लागू होने के संबंध में उपान्तरित किये गये हैं, उसके संबंध में प्रवृत्त नहीं रहेंगे और इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबन्ध पुन: प्रवर्तित हो जायेंगे तथा लागू रहेंगे : धारा 55 का अन्त: स्थापन. धारा 54 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान.

परन्तु अधिसूचना के प्रवर्तन के अवसान का—

(क) तथा उपान्तरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उन उपबंधों या उस आदेश के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ख) यथा उपान्तरित उपबन्धों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ग) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा अन्वेषण या उपचार इस प्रकार संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकेगा मानों कि उपान्तरित उपबन्धों का लागू होना समाप्त नहीं हुआ हो.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इन्दिरा, कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना हुई है. अधिनियम के क्रियान्वयन में कतिपय कमियां प्रकट हुई हैं और अधिनियम के कुछ विद्यमान उपबन्ध अपर्याप्त साबित हुए हैं, अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम में यथोचित रूप से संशोधन किया जाय.

2. संशोधन विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

(एक) इस अधिनियम में कुलपति और उप कुलपति शब्दों के स्थान पर अन्य विश्वविद्यालयों के समान कुलाधिपति एवं कुलपति शब्द संस्थापित किए गए हैं.

(दो) कुलपति को हटाने के प्रक्रिया अन्य विश्वविद्यालयों के समान उपबन्धित की गई है.

(तीन) कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन उपलब्ध करने के लिए सरकार की शक्तियों को उपबंधित किया गया है.

3. अत: यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 20 मार्च, 2002.

सत्यनारायण शर्मा
भारसाधक सदस्य.

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 के उपबन्ध का हिन्दी अनुवाद

निगमन.

3. इस विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, उपकुलपति, अध्याचार्य (यदि कोई हो) एवं कोषाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय सभा कार्यकारिणी समिति एवं शिक्षा समिति के प्रथम सदस्य तथा ऐसे सभी व्यक्ति जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य, जब उक्त पद या सदस्यता धारित करते हैं, के द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय गठित होगा. उक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकारी होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वाद चलायेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जायेगा.

प्रतिकुलपति.

11. संस्थापक तथा छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री इसके प्रतिकुलपति होंगे.

कोषाध्यक्ष.

16. एक कोषाध्यक्ष होगा, जो कुलपति के द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा ऐसी शर्तों के साथ तथा ऐसी कालावधि के लिए पद धारित करेंगे तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जो परिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय की निधि से प्रावधानित हो.

उप-कुलपति का हटाया जाना.

17. (1) विश्वविद्यालय सभा की बैठक के निर्धारित समय के 24 घंटे पूर्व, विश्वविद्यालय सभा का कोई भी सदस्य, कुलसचिव को लिखित सूचना द्वारा जिसमें वह कुलपति के विरुद्ध दुर्व्यवहार तथा अक्षमता के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंशा जाहिर करेगा, साथ ही प्रस्ताव में दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता जैसा भी हो, का विवरण भी देगा.

(2) विश्वविद्यालय की बैठक प्रारंभ होने पर पीठासीन अधिकारी, उपधारा (1) के अंतर्गत दी गई सूचना को पढ़ेगा तथा विश्वविद्यालय सभा के सदस्यों को आहूत करेगा कि जो इस प्रस्ताव पर चर्चा के पक्ष में है, वे अपने स्थान पर खड़े हो जावें.

(3) यदि विश्वविद्यालय सभा उस दिन उपस्थित सदस्यों में से कम से कम 40 प्रतिशत सदस्य अपने स्थान पर खड़े होते हैं, तो पीठासीन अधि[illegible] तत्काल चर्चा हेतु ऐसी तिथि निर्धारित करेगा, जो उस तिथि से पांच दिनों से अधिक न हो.

(4) उपकुलपति ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें यह प्रस्ताव चर्चा के लिए आयेगा, किन्तु उसे अपनी बात कहने का तथा चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा.

(5) ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं माना जावेगा, जिसमें प्रस्ताव के पक्ष में, कम से कम सूचना तिथि को हुई बैठक में उपस्थित सदस्य दो तिहाई ने प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत जाहिर न किया हो.

(6) ऐसे प्रस्ताव के पारित होने पर कुलपति, उपकुलपति की नियुक्ति को समाप्त करने का आदेश पारित करेगा.

(7) उपकुलपति इस धारा के प्रावधान के पालन किए बिना हटाया नहीं जावेगा.

विश्वविद्यालय सभा की शक्तियां एवं कर्त्तव्य.

21. विश्वविद्यालय सभा विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राधिकारी होगी तथा उसे कार्यकारिणी समिति, शिक्षा समिति के कार्यों को संशोधित करने की शक्ति होगी, और उसे ऐसे समस्त कार्यों को सम्पन्न करने की शक्ति होगी जिसके विषय में इस अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान न हो.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.